"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2017—वैशाख 1, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दयाराम अहरवाल आत्मज स्व. काशीराम अहरवाल, उम्र 68 वर्ष, जाति चर्मकार, निवासी-दयाभवन, आजाद मार्केट रिसाली, भिलाई नगर, तहसील व जिला -दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में तथा मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम दयाराम अहरवाल आत्मज श्री काशीराम दर्ज है जो कि सही है किन्तु मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम दयाराम चर्मकार पिता काशीराम दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम दयाराम अहरवाल (Dayaram Aharwal) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे श्री दयाराम अहरवाल आत्मज स्व. काशीराम अहरवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

दयाराम चर्मकार (Dayaram Charmkar)
आत्मज-स्व. काशीराम
निवासी-दयाभवन, आजाद मार्केट रिसाली,
भिलाई नगर, तहसील व जिला -दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

दयाराम अहरवाल (Dayaram Aharwal)
आत्मज-स्व. काशीराम
निवासी-दयाभवन, आजाद मार्केट रिसाली,
भिलाई नगर, तहसील व जिला -दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शिवकुमारी पति श्री रघुनाथ ध्रुव, उम्र 39 वर्ष, जाति गोंड, निवासी-ब्लाक नं. 230 ए, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आधार कार्ड में मेरा नाम शिवकुमारी दर्ज है किन्तु मेरे पति श्री रघुनाथ ध्रुव के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम श्रीमती शिव तुमरेकी दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती शिवकुमारी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती शिवकुमारी पति श्री रघुनाथ ध्रुव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

शिव तुमरेकी
पिता-दिनूराम
निवासी-ब्लाक 230/क्वा. A
रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती शिवकुमारी
पति-श्री रघुनाथ ध्रुव
निवासी-ब्लाक 230/क्वा. A
रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती छाया ठाकुर,पति श्री विष्णु प्रसाद ठाकुर, उम्र 28 वर्ष, निवासी- विवेकानंद रेसीडेंसी मोपका तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम अनिता ध्रुव पिता श्री प्रहलाद ध्रुव था जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती छाया ठाकुर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती छाया ठाकुर पति श्री विष्णु प्रसाद ठाकुर नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अनिता ध्रुव
पिता- श्री प्रहलाद ध्रुव
निवासी-ग्राम सोरिद,
जिला-महासमुंद (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती छाया ठाकुर
पति-श्री विष्णु प्रसाद ठाकुर
निवासी-विवेकानंद रेसीडेंसी, बिलासपुर
स्थायी पता-ग्राम भालूचुवां, पोस्ट-घुंचापाली
तह. बागबाहरा जिला-महासमुंद (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती जी. राजेश्वरी (G. Rajeshwari) पति स्व. जी. दुर्योधन राव, उम्र 45 वर्ष, निवासी-सड़क-एन. ए. बी., वार्ड नं.-32, बालाजी नगर, जोन-2, सेक्टर-11, खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक आदि में मेरा नाम श्रीमती जी. राजेश्वरी (G. Rajeshwari) दर्ज है जो कि सही है किन्तु मेरे पति श्री जी. दुर्योधन राव के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती राजेश्वरी (Rajeshwari) दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती जी. राजेश्वरी (G. Rajeshwari) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती जी. राजेश्वरी पति स्व. जी. दुर्योधन राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती राजेश्वरी (Rajeshwari)
पति-स्व. जी. दुर्योधन राव
निवासी-सड़क क्र.-एन. ए. बी., वार्ड क्र.-32,
बालाजी नगर, जोन-2, सेक्टर-11
खुर्सीपार,भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती जी. राजेश्वरी (G. Rajeshwari)
पति-स्व. जी. दुर्योधन राव
निवासी-सड़क क्र.-एन. ए. बी., वार्ड क्र.-32,
बालाजी नगर, जोन-2, सेक्टर-11
खुर्सीपार,भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, केदार वर्मा, आत्मज स्व. भूनेश्वर प्रसाद, उम्र 48 वर्ष, निवासी-ग्राम अकलोरडीह, पोस्ट-सुरडूंग, जिला दुर्ग (छ. ग.) हा. मु. कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल के सामने, उत्तर वसुन्धरा नगर भिलाई-03, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है जो कि सही है किन्तु मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश केदार दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम केदार वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे केदार वर्मा आत्मज स्व. भूनेश्वर प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

केदार
आत्मज-स्व. भूनेश्वर प्रसाद
निवासी-उत्तर वसुन्धरा नगर, भिलाई-3
तहसील पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

केदार वर्मा
आत्मज-स्व. भूनेश्वर प्रसाद
निवासी-उत्तर वसुन्धरा नगर, भिलाई-3
तहसील पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विकास जैन आत्मज श्री नेमीचन्द जैन (Vikas Jain S/o Nemichand Jain) निवासी-H. No. 10, Park Street 4, Choubey Colony Raipur (C. G.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरे पुत्र को वैभव भंसाली (Vaibhav Bhansali) के नाम से पुकारा जाता था. मैं अपने पुत्र के उपनाम भंसाली को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम वैभव जैन (Vaibhav Jain) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को वैभव जैन आत्मज श्री विकास जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
वैभव भंसाली (Vaibhav Bhansali) आत्मज-विकास जैन (Vikas Jain) निवासी- Park Street 4, H. No. 10, Choubey Colony Raipur (C. G.)	वैभव जैन (Vaibhav Jain) आत्मज-विकास जैन (Vikas Jain) निवासी- Park Street 4, H. No. 10, Choubey Colony Raipur (C. G.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विकास जैन आत्मज श्री नेमीचन्द जैन (Vikas Jain S/o Nemichand Jain) निवासी-H. No. 10, Park Street 4, Choubey Colony Raipur (C. G.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरी पुत्री को वृद्धि भंसाली (Vridhi Bhansali) के नाम से पुकारा जाता था. मैं अपने पुत्री के उपनाम भंसाली को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम वृद्धि जैन (Vridhi Jain) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को वृद्धि जैन आत्मजा श्री विकास जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
वृद्धि भंसाली (Vridhi Bhansali) आत्मजा-विकास जैन (Vikas Jain) निवासी- Park Street 4, H. No. 10, Choubey Colony Raipur (C. G.)	वृद्धि जैन (Vridhi Jain) आत्मजा-विकास जैन (Vikas Jain) निवासी- Park Street 4, H. No. 10, Choubey Colony Raipur (C. G.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/199 /उपंरा/परि./2017.—विकास खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या. बडभूम पं. क्र. AR/RJN/380 वि. ख. डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव संपन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये हैं. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये विकास खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या. बडभूम पं. क्र. AR/RJN/380 वि. ख. डोंगरगांव जिला राजनांदगांव को छत्तसीगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री आलोक सिंह सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड डोंगरगांव जिला राजांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/200 /उपंरा/परि./2017.—मिनीमाता ईंट कवेलू उद्योग सहकारी समिति मर्या. पंचपेड़ी पं क्र. AR/RJN/419 वि. ख. खैरागढ़ जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव संपन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये हैं, इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यो के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मिनीमाता ईंट कवेलू उद्योग सहकारी समिति मर्या. पंचपेड़ी पं. क्र. AR/RJN/419 वि. ख. खैरागढ़ जिला राजनांदगांव को छत्तसीगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत कु. अनिता नंदे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड खैरागढ़ जिला राजांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/201 /उपंरा/परि./2017.—वैदही महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. DR/RJN/466 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव संपन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यो के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये वैदही महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. DR/RJN/466 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव व जिला राजांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/202 /उपंरा/परि./2017.—हितकारी पशुपालन सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. AR/RJN/387 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उपंरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव संपन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये हैं. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यो के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये हितकारी पशुपालन सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. AR/RJN/387 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव जिला राजांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/203 /उपंरा/परि./2017.— आदर्श दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. उपरवाह पं. क्र. AR/RJN/310 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल के अध्यक्ष को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1408/उंपरा/परिसमापन/2016 राजनांदगांव दिनांक 09-11-2016 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार "डी" वर्ग में है, तथा संस्था समय पर चुनाव संपन्न नहीं करायी है. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपस्थित हुये है. इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि उक्त सोसायटी को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यो के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदर्श दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. उपरवाह पं. क्र. AR/RJN/310 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड राजनांदगांव जिला राजांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.